मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र0 1224/22/वि–7/NBA/2014 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– समस्त,
मध्य प्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– समस्त,
मध्य प्रदेश

विषयः– निर्मल भारत अभियान को जनांदोलन आधारित सामाजिक बदलाव के अभियान के रूप कियान्यन हेतु प्रेरकों के उपयोग एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में। ।

––00––

निर्मल भारत अभियान को जनआंदोलन बनाने हेतु विभागीय अमले के साथ–साथ स्थानीय प्रेरकों की भी आवश्यकता होगी। इस हेतु विकासखण्ड स्तर पर स्थानीय प्रेरकों का चयन कर उनका समुदाय प्रेरिकरण प्रकिया में प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षित प्रेरकों के द्वारा समुदाय में प्रेरिकरण, कार्ययोजना निर्माण एवं फॉलोअप की गतिविधियाँ आयोजित की जाऐगी, जिससे समुदाय स्तर पर "खुले में शौच" की पृथा से मुक्ति हेतु समुदाय एकजुट हो तथा कार्यवाही सुनिश्चित हो सकें। 3 से 4 प्रेरकों का दल विकास खण्ड स्तर पर कार्य करेगा जिसे ब्लाक स्तरीय प्रेरक दल के नाम से जाना जाएगा। इन प्रेरकों द्वारा ग्राम स्तर पर प्रेरिकरण के साथ ही क्षमता वृद्धि का कार्य भी किया जाएगा। प्रेरक दल को प्रोत्साहित रखने हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। ब्लाक स्तरीय प्रेरक दल को गतिविधि एवं परिणाम आधारित एवं निश्चित अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि परियोजना बजट में नियत आई0ई0सी0 मद से किया जा सकेगा।

प्रेरक जब 1 से 2 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करा लेगा तथा अच्छा संचार कौशल विकासित कर लेगा तब वह विशिष्ट सुगमकर्ता के रूप में उन्नयन होंगे, विशिष्ट सुगमकर्ता के रूप में कार्य कर जब 3 से 4 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त कर लेगें, अच्छा संचार कौशल रखेगें तथा प्रशिक्षण कौशल भी रखेगें, वे विकास खण्ड स्तर के मैदानी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक के रूप में उन्नयन होगें, इसके उपरांत विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के उपरांत जिला स्तर पर अन्य प्रेरकों का समुदाय प्रेरिकरण पर प्रशिक्षण में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में उन्नयन होंगे।

ब्लाक स्तरीय प्रेरक दल को अभियान में भागीदार बनाने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान रखा गया है–

1. **अ. प्रेरक दल को गतिविधियों के आयोजन एवं परिणाम प्राप्त करने पर–** जनपद स्तर पर 3 से 4 प्रेरक समुह में कार्य करेंगें। यह समूह ब्लाक स्तरीय प्रेरक दल कहलाएगा। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अनुसार ब्लाक हेतु निर्मित ब्लाक स्तरीय मासिक स्वच्छता कार्ययोजना में चयनित ग्राम पंचायतों को

क्रमवार खुले में शौच मुक्त करने की गतविधियां करेगा तथा उन्हे खुले में शौच से मुक्त बनाए रखनें हेतु कार्य करेगा।

गतिविधियों के आयोजन एवं उनके परिणाम के आधार पर प्रेरक को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा –

कमांक	गतिविधियां	दिवसों की संख्या	प्रति दिवस प्रोत्साहन राशि
1	समुदाय में प्रेरीकरण की पूर्व तैयारी	01	रू 250 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम प्रतिदिन
2	समुदाय का संपूर्ण प्रेरीकरण, फालोअप एवं निगरानी समिति का गठन तथा अनुश्रवण	03	रू 200 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम प्रतिदिन
4	ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना का निर्माण एवं ग्राम सभा में अनुमोदन	02	रू 200 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम प्रतिदिन
5	ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं घरेलु तथा संस्थागत शौचालयों के निर्माण के दौरान संचार गतिविधियों का आयोजन	दो माह में 6 फॉलोअप प्रति ग्राम (प्रेरक दल द्वारा एक दिवस में दो ग्रामों में फॉलोअप किया जा सकेगा।)	रू 300 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम प्रतिदिन दो ग्राम हेतु

गतिविधि क्रमांक 1 से 4 तक की गतिविधियां प्रेरक दल द्वारा लगातार चयनित ग्रामों में रहकर सम्पन्न की जाएगी। इन गतिवधियों के लिए ग्राम तक जाने तथा वापसी की परिवहन की व्यवस्था विकासखण्ड स्तर से की जाए। गतिविधि क्रमांक 5 अंतर्गत प्रेरक दल व्यक्तिगत तथा संस्थागत शौचालय के निर्माण का अनुश्रवण एवं इस हेतु आवश्यक आई0ई0सी0 गतिविधि करेगा जो निर्माण कार्य को सुव्यवस्थित सम्पन्न करानें एवं निर्माण गतिविधि में ग्राम पंचायत तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

1. ब. ग्राम के खुले में शौच मुक्त होने एवं धारणीयता पर–

क.	गतिविधियां	अवधि	प्रोत्साहन राशि
1	खुले में शौच मुक्त होने के उपरांत ग्राम के 6 माह तक पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त रहने पर	6 माह उपरांत	रू 3000 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम (जिला स्तरीय दल के सत्यापन उपरांत) एक मुश्त
2	खुले में शौच मुक्त होने के उपरांत ग्राम के 1 साल तक पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त रहने पर	1 साल उपरांत	रू 2000 प्रति प्रेरक प्रति ग्राम एक मुश्त उपरोक्त रु 3000 के अतिरिक्त। (जिला स्तरीय दल के सत्यापन उपरांत)

प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण कर्ता के रूप में कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि–

2.अ. प्रशिक्षक के रूप –

ऐसे प्रेरक जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे तथा प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता रखेंगे उनका चयन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रशिक्षक के रूप में किया जाएगा।

2 से 3 प्रशिक्षक मिलकर एक बैच (30 से 40 प्रतिभागी) का प्रशिक्षण करेंगे। विकास खण्ड स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों, स्वच्छता दूतों, मैदानी कार्यकर्ताओं, निगरानी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण तथा कारीगरों हेतु प्रशिक्षक के रूप में कार्य करगें। उन्हें इस कार्य हेतु रूपये 500/– प्रति दिन प्रति प्रशिक्षक प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जावेगी।

2.ब. मास्टर प्रशिक्षक के रूप में– जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रशिक्षक दल में से उत्कृष्ठ प्रशिक्षकों जो समुदाय जागृति में प्रशिक्षण हेतु क्षमता रखते हो उनका मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाएगा। जो आवश्यकता अनुसार जिला/विकासखण्ड स्तर पर प्रेरकों के आवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार के कौशल आधारित प्रशिक्षण के एक बैच हेतु 4 से 5 मास्टर प्रशिक्षक के दल द्वारा आयोजित होगा तथा प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान सभी को उपस्थित रहना होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु रूपये 1000 प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षक प्रोत्साहन राशि का भुगतान जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

2.स. सत्यापनकर्ता के रूप में– उपरोक्त प्रेरक/प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक का उपयोग ग्रामों में खुले में शौच मुक्त के सत्यापन एवं कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण भी किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु रु 300/– प्रति दिवस प्रति व्यक्ति का भुगतान किया जावेगा। इस कार्य में किसी भी प्रेरक/प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक को माह में अधिकतम 5 दिवसों के लिए संलग्न किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण एवं अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु व्यय प्रशिक्षण मद से विकलनीय होगा।

प्रेरकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान के लिए प्रतिवेदन विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड समन्वयक/प्रभारी अधिकारी को देना होगा। इसका सत्यापन विकासखण्ड समन्वयक/प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इसके उपरांत भुगतान विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध प्रचार–प्रसार मद की राशि से किया जाएगा।

प्रत्येक स्तर की गतिविधियों में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का विवरण, पूर्णता सूचकांक का आव्यूह तथा प्रतिवेदन प्रारूप अ,ब,स,द एवं क/ख इस पत्र के साथ हर स्तर पर अनुश्रवण हेतु संलग्न है। प्रेरक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत 10 दिवस में सत्यापन कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना सुनिश्चत किया जाए।

उपरोक्तानुसार प्रावधानों को उपयोग कर प्रेरकों के उपयोग समुदाय में प्रेरिकरण एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाए।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(संजीव कुमार झा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन